

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र सं. 16/2022

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री कालूराम पुत्र श्री प्रभू जाति गरासिया निवासी आपरीखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. श्री सोमाराम पुत्र श्री प्रभू जाति गरासिया निवासी आपरीखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
3. श्री हीराराम पुत्र श्री प्रभू जाति गरासिया के कायम मुकाम-
 - 3.1 सुश्री लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री हीराराम जाति गरासिया निवासी ओवरला धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 3.2 श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री हीराराम जाति गरासिया निवासी आपरीखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 3.3 श्री विक्रमसिंह पुत्र स्व. श्री श्री हीराराम जाति गरासिया निवासी ओवरला धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 3.4 श्री वगताराम पुत्र स्व. श्री हीराराम जाति गरासिया निवासी ओवरला धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 3.5 सुश्री कविता पुत्री स्व. श्री हीराराम जाति गरासिया निवासी ओवरला धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
4. श्री भीमाराम पुत्र श्री प्रभू जाति गरासिया निवासी आपरीखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
5. श्रीमती सजनोदेवी पत्नि श्री प्रभू जाति गरासिया निवासी आपरीखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
6. सुश्री इन्द्रा पुत्री श्री प्रभू जाति गरासिया निवासी आपरीखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
7. सुश्री सजना पुत्री श्री प्रभू जाति गरासिया निवासी आपरीखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
8. सुश्री सोदरी पुत्री श्री प्रभू जाति गरासिया निवासी आपरीखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :-

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरौही)
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अप्रार्थी अधिवक्ता।

निर्णय



दिनांक 08.11.2024

क.प.स.
जिला कलक्टर, सिरौही

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा आपरीखेडा पटवार मण्डल लौटाना, तह. पिण्डवाडा जिला

सिरोही के खसरा नं. 190 व 264 रकबा क्रमशः 1.04 बीघा व 2.03 बीघा किस्म बारानी-1 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.05.1985 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री प्रभू पुत्र श्री पन्ना जाति गरासिया को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 03.08.1985 को तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा श्री प्रभू पुत्र श्री पन्ना जाति गरासिया के नाम दर्ज की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। श्री प्रभू पुत्र श्री पन्ना जाति गरासिया की फौत हो जाने से उनके वारिसानों को प्रकरण में पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी संख्या एक, दो व चार से आठ की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी संख्या 3.1 से 3.5 की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 190 व 264 रकबा क्रमशः 1.04 बीघा व 2.03 बीघा किस्म बारानी-1 भूमि का आवंटन श्री प्रभू पुत्र श्री पन्ना जाति गरासिया को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है। श्री प्रभू पुत्र श्री पन्ना जाति गरासिया की फौत हो जाने से उनके वारिसानों को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है। अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का आवंटन से लेकर आज तक कब्जा नहीं है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है।

अप्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।




अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री प्रभू पुत्र श्री पन्ना जाति गरासिया काबिज रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात खसरा संख्या 190 व 264 के राजस्व आराजी में नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक से आठ काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। यह है कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय से ही अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं एवं उक्त आवंटन किए हुए 38 वर्षों की अवधि गुजर चुकी है, जबकि अप्रार्थीगण आवंटन के समय से ही मौके पर काबिज होकर प्रार्थी की देखरेख में काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा गलत रिपोर्ट बना कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में रबी व खरीफ दोनों फसल लगातार अप्रार्थीगण की ओर से बोई जा रही है, जिसकी ताईद में संवत् 2071 से संवत् 2074 की खसरा गिरदावरी साथ संलग्न है। इस प्रकार उक्त भूमि पर लगातार आज भी अप्रार्थीगण की काश्त मौके पर खड़ी है, इसके उपरान्त भी पटवारी हल्का ने गलत रूप से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थीगण का कब्जा लगातार मौके पर काबिज है,

जिला कलेक्टर, सिरोही

लेकिन प्रार्थी ने कानूनन अभी तक अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण जानबूझकर दर्ज नहीं किया है, जो भी आवंटन के दस वर्ष पश्चात कानूनन अप्रार्थीगण अपने नाम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा आधारहीन तथ्यों पर बदनियती से उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आदेश क्रमांक/राज प्रथम/85/968-69 दिनांक 31.05.1985 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री प्रभू पुत्र श्री पन्ना जाति गरासिया को मौजा आपरीखेडा पटवार हल्का लौटाना, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 190 व 264 रकबा क्रमशः 1.04 बीघा व 2.03 बीघा किस्म बारानी-1 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसकी पालना में आवंटित भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 03.08.1985 के द्वारा आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आवंटी श्री प्रभू पुत्र श्री पन्ना जाति गरासिया के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई।

प्रार्थी पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किया है एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्व रसाधिकारियों का कब्जा काश्त आवंटन के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है एवं मौके पर आज भी काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवत् 2071 से 2074 में उक्त आवंटित भूमि पर काश्त होना दर्ज है और अप्रार्थीगण द्वारा संवत् 2071 से 2074 में मक्का की फसल बौने का अंकन किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है एवं उनके द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर फसल भी बोई जा रही है। प्रार्थी पक्ष के द्वारा भी ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवंटी द्वारा आवंटित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी में उक्त आवंटित भूमि पर काश्त होना दर्ज है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त वादग्रस्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के द्वारा किए जा रहे काश्त की जांच किए बिना केवल मात्र पटवारी हल्का लौटाना द्वारा तैयार की गई मौका फर्द के आधार पर यह प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत RRT 2001(2) Page 999 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि 30 वर्ष पूर्व भूमि आवंटित हुई, दस वर्ष बाद आवंटित खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, 30 वर्ष बाद आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। विधिक दृष्टांत RRT 2001(2) Page 1219 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि 16 वर्षों के बाद आवंटन का निरस्त करना एवं आवंटी को आवंटित भूमि से वेदखल करना न्याय के साथ कुठारघात होगा। इसी प्रकार विधिक दृष्टांत RRT 2014(2) Page 1150, RRT 2016(1) Page 82,




Mun
जिला कलेक्टर, सिरोही

RRT 2019(2) Page 838 एवं RRT 2021(2) Page 1029 में भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा काफी वर्षों के बाद आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं माना है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में भी प्रश्नगत भूमि का आवंटन हुए लगभग 38 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार, अप्रार्थीगण के प्रश्नगत भूमि पर अधिकारों को समाप्त करने में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। ऐसी स्थिति में, उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।




(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही